कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी

(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)
जलेब चौक,जयपुर।
ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः– प.37(1943)गृरमु/पीएसएएल/2020/12256-59 दिनाकः– 02 NOV 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स–एस.एस. रायधना सिक्यूरिटी सर्विसेज लाईसेन्स संख्या 659/CD&HG HQ (S-Cell)/2013 दिनांक 07.05.2013 वैद्यता दिनांक 06.05.2023 (निजी सुरक्षा अभिकरण) का इस कार्यालय के पत्रांक 5410 दिनांक 22.04.2020 द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा 16 के तहत वर्ष 2020–21 का वार्षिक निरीक्षण करवाने पर उक्त निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा पसारा नियम 2005 की धारा 09, 10, 12 एवं 15 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 15 व 17 की पालना नहीं करने व प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन करने के कारण उक्त लाईसेन्स को पसारा एक्ट 2005 की धारा 13(2) के तहत कार्यालय आदेश क्रमांक 9280–82 दिनांक 04.09.2020 के द्वारा एक माह के लिये तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाकर अनुज्ञाधारक श्री मंगल सिंह को कार्यालय पत्र क्रमांक 9283–84 दिनांक 04.09.2020 द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 10. 09.2020 को नोटिस का प्रति उत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित प्रावधानों की पालना हेतु एक माह का और समय दिया जावें एवं 13.10.2020 को कार्यालय में इससे संबंधित कुछ दस्तावेज जमा किये। जिनका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा 12 एवं 15 की अनुपालना के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया। अतः उपरोक्त निजी सुरक्षा एजेन्सी का लाईसेन्स प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(2) के तहत लाईसेन्स निलम्बन के प्रश्न के अवधरित नहीं होने के कारण आगामी आदेश तक निलम्बित किया जाता है।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. श्री मंगल सिंह पुत्र स्व. सियान सिंह निवासी गांव–रायधना, थाना–जसवंतगढ जिला–नागौर, हाल निवासी प्लॉट नं–01, शिवपुरी कॉलोनी, थाना–झोटवाडा, जयपुर एवं कार्यालय पता 227, एफ–5, श्री मंगल टॉवर, जगन्नाथपुरी, झोटवाडा, जयपुर को देकर लेख है कि उक्त वर्णित प्रावधानों की पालना की पालना कर एक माह के अन्दर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर सूचना अपलोड करने बाबत्।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर